नईदुनिया

संपादकीय

भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत

लगभग डेढ़ दशक के प्रयासों के बाद, देश को दहला देने वाले मुंबई आतंकी हमले के सूत्रधार रहे पाकिस्तानी मूल के तहव्वुर राणा का भारत प्रत्यर्पण हमारी बड़ी कानूनी व कूटनीतिक जीत है। यह सफलता तब ही पूर्ण मानी जाएगी जब इस साजिश में बड़ी भूमिका निभाने वाले डेविड कोलमैन हेडली का भारत प्रत्यर्पण हो सकेगा। जिसने मुंबई हमले से पूर्व आतंकियों द्वारा निशाने पर लिए गए जगहों की कई बार रेकी करके आतंकी सरगनाओं की मदद की थी। निश्चय की तहव्वुर राणा का भारत लाया जाना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जांच के बाद मुंबई आतंकी हमले में पाकिस्तान सरकार तथा आईएसआई की भूमिका व पाक स्थित आतंकी संगठनों के खतरनाक मंसूबों का खुलासा हो सकेगा। सही मायनों में यह हमारी खुफिया एजेंसियों की भी कठिन परीक्षा होगी कि इस साजिश की तह तक कैसे पहुंचा जाए। भारतीय खुफिया एजेंसियां से यदि इस बड़ी साजिश की कड़ियां सही तरह से जोड़ पायी तो आतंकवाद की उर्वरा भूमि बने पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब किया जा सकेगा। यही वजह है कि 26/11 के दहला देने वाले मुंबई हमले के सूत्रधार तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पण करने के रास्ते अवरोध खड़े करने में प्रत्यक्ष-परोक्ष तौर पर पाक समर्थकों द्वारा कोशिशें की गई। वे सारे कानूनी उपाय अपनाए गए जो राणा का प्रत्यर्पण रोक सकते थे। बहरहाल, इस प्रत्यर्पण से उन शहीदों के परिजनों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है, जिनकी इस आतंकी हमले में मृत्यु हुई थी। अब तक उनके परिजनों को इस बात का मलाल था कि सोलह साल बाद भी सभी अपराधियों को सजा नहीं मिली सकी है। साथ ही राणा की पूछताछ से होने वाले खुलासों से आतंकवाद की पाठशाला बने पाकिस्तान को अलग-थलग करने के प्रयासों को भी बल मिलेगा। निश्चित रूप से तहव्वुर राणा के खिलाफ भारतीय कानून व न्याय व्यवस्था के मानकों के अनुरूप ही कार्रवाई होगी। साथ ही अजमल कसाब की तरह उसकी अपनी बात कहने को कानूनी मदद भी दी जाएगी।

हालांकि, अब तक पाकिस्तान मुंबई आतंकी हमले में अपना हाथ होने से लगातार इनकार करता रहा है, लेकिन सभी प्राथमिक सूचनाएं और ठोस सबूत पाक की तरफ इशारा करते रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वह अपनी धरती पर कुख्यात आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के बड़े गुर्गों को संरक्षण देकर उनका बचाव करता रहा है। ऐसे में हमारी जांच एजेंसियों के अधिकारी तहव्वुर राणा से सख्त पूछताछ से सच्चाई सामने लाने में सक्षम हो सकते हैं। साथ ही ठोस निष्कर्षों के आधार पर पाकिस्तान पर दबाव बना सकता है कि वह अपनी जमीन आतंकवादियों को पालने-पोसने में इस्तेमाल न होने दे। इसके अलावा आतंकी संगठनों पर पर्याप्त दबाव बनाए, ताकि फिर मानवता के खिलाफ मुबई हमले जैसे घटनाक्रम न दोहराए जा सकें। बहरहाल, तहव्वुर राणा का भारत प्रत्यर्पण पाकिस्तान तथा दूसरे देशों में भारत विरोधी गतिविधियां चला रहे लोगों व संगठनों के लिये साफ संदेश गया है कि इंसानियत के दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में कानून की ओट में बच नहीं सकते। साथ ही पाकिस्तान को आईना दिखा दिया गया है जो तहव्वुर राणा को कनाडा का नागरिक बताकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा था। निश्चित रूप से इस सफलता में भारत के राजनीतिक व कूटनीतिक प्रयासों की भी बड़ी भूमिका रही है। भारतीय अधिकारियों ने इस दिन के लिये कड़ी मेहनत की। हालांकि, अभी इस रहस्य से पर्दा उठना बाकी है कि अमेरिका ने क्यों अपने नागरिक डेविड कोलमैन हेडली को भारत को सौंपने से परहेज किया। जबकि उसने इस बड़े अपराध में बड़ी भूमिका निभाई थी। हेडली व राणा आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकी संगठनों व पाक खुफिया एजेंसियों के संपर्क में लगातार बने रहे थे। बहरहाल, उम्मीद की जानी चाहिए की तहव्वुर राणा से कड़ी पूछताछ के बाद भारतीय एजेंसियां मुंबई हमले में इस्लामाबाद की भूमिका, पाक सत्ता प्रतिष्ठानों की करतूतों,आईएसआई के नेटवर्क व आतंकी संगठनों को दी जाने वाली आर्थिक मदद की हकीकत देश-दुनिया के सामने ला सकेंगी।

डॉ. आम्बेडकर : राष्ट्र के सजग पथ प्रदर्शक

जयन्ती (14 अप्रैल) पर विशेष

रमेश सर्राफ धमोरा

देश में हर वर्ष 14 अप्रैल को बाबासाहेब डॉ. भीमराव आम्बेडकर की जयन्ती मनायी जाती है। बाबासाहेब की जयन्ती पर लोगों को संकल्प लेना चाहिये कि हम सब सच्चे मन से उनके बताये मार्ग का अनुशरण करेंगे। बाबासाहेब हमेशा जाति प्रथा, ऊंच-नीच की बातों के विरोधी थे। इसलिये उनकी जयन्ती पर उनको श्रद्धांजलि देने का सबसे अच्छा तरीका है उनके सिद्धांतों को जीवन में अपनायें। बाबा साहेब आम्बेडकर कुल 64 विषयों में माहिर थे। वे हिन्दी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, पर्शियन और गुजराती जैसे 9 भाषाओं के जानकार थे।

बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर देश के संविधान के निर्माता ही नहीं, दुनिया के बड़े राजनेताओं में से एक थे। उनकी दूर दृष्टि, उनके ज्ञान, लोगों को समझने का उनका नजरिया, जाति प्रथा के विरुद्ध उनके तेवर को देखते हुए ही उन्हें भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। ताकि भारत का संविधान दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संविधान में से एक हो। आज हम देखते हैं कि बाबा साहेब आम्बेडकर के नेतृत्व में रचित भारत का संविधान हमारे लोकतंत्र का सजग प्रहरी बनकर खड़ा है। जहां कहीं भी नियम विरुद्ध कुछ किया जाता है तो संविधान कर्तव्य पथ की याद दिलाकर सही राह पर चलने की प्रेरणा देता है।

डॉ. भीमराव आम्बेडकर का जीवन दर्शन आज भी प्रासंगिक है क्योंकि इसने भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवस्था को आकार देने में मदद की। डॉ. आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ के एक गरीब परिवार में हुआ था। वे भीमराव रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14 वीं सन्तान थे। उनका परिवार मराठी था जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिला स्थित अम्बावडे नगर से सम्बंधित था। उनके बचपन का नाम रामजी सकपाल था। वे हिंदू महार जाति के थे। उनकी जाति के साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था। एक अस्पृश्य परिवार में जन्म लेने के कारण उनका बचपन कष्टों में बीता।

देश में हर वर्ष 14 अप्रैल को बाबासाहेब डॉ. भीमराव आम्बेडकर की जयन्ती मनायी जाती है। बाबासाहेब की जयन्ती पर लोगों को संकल्प लेना चाहिये कि हम सब सच्चे मन से उनके बताये मार्ग का अनुशरण करेंगे। बाबासाहेब हमेशा जाति प्रथा, ऊंच-नीच की बातों के विरोधी थे। इसलिये उनकी जयन्ती पर उनको श्रद्धांजलि देने का सबसे अच्छा तरीका है उनके सिद्धांतों को जीवन में अपनायें। बाबा साहेब आम्बेडकर कुल 64 विषयों में माहिर थे। वे हिन्दी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, पर्शियन और गुजराती जैसे 9 भाषाओं के जानकार थे। इसके अलावा उन्होंने लगभग 21 साल तक विश्व के सभी धर्मों की तुलनात्मक रूप से पढ़ाई की थी। डॉक्टर आम्बेडकर अकेले ऐसे भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगाई गई है। इतना ही नहीं, उन्हें देश-विदेश में कई प्रतिष्ठित सम्मान भी मिले हैं। उनके पास कुल 32 डिग्रियां थी। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के निजी पुस्तकालय राजगृह में 50 हजार से भी अधिक किताबें थी। यह विश्व का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था।

बाबा साहब का मानना था कि वर्गहीन समाज गढ़ने से पहले समाज को जाति विहीन करना होगा। आज महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए हमारे पास जो भी संवैधानिक सुरक्षा कवच, कानूनी प्रावधान और संस्थागत उपाय मौजूद हैं, इसका श्रेय डॉ. आम्बेडकर को जाता है। भारतीय संदर्भ में जब भी समाज में व्याप्त जाति, वर्ग और लिंग के स्तर पर व्याप्त असमानताओं और उनमें सुधार के मुद्दों पर चिंतन हो तो डॉ. आंबेडकर के विचार और दृष्टिकोण को शामिल किए बिना बात पूरी नहीं हो सकती।

डॉ. आम्बेडकर का सपना था कि भारत जाति-मुक्त हो, औद्योगिक राष्ट्र बने, सदैव लोकतांत्रिक बना रहे। लोग आम्बेडकर को एक दलित नेता के रूप में जानते हैं। जबकि उन्होंने बचपन से ही जाति प्रथा का खुलकर विरोध किया था। उन्होंने जातिवाद से मुक्त आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ भारत का सपना देखा था। डॉ. आम्बेडकर का एक और सपना था कि दलित धनवान बनें। वे हमेशा नौकरी मांगने वाले ही न बने रहें अपितु नौकरी देने वाले बनें। भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो आम्बेडकर संभवत: पहले अध्येता रहे हैं, जिन्होंने जातीय संरचना में महिलाओं की स्थिति को समझने की कोशिश की थी। उनके संपूर्ण विचार मंथन के दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण मंथन का हिस्सा महिला सशक्तिकरण था। आम्बेडकर यह बात समझते थे कि स्त्रियों की स्थिति सिर्फ ऊपर से उपदेश देकर नहीं सुधरने वाली, उसके लिए कानूनी व्यवस्था करनी होगी। इसी कारण आंबेडकर हिंदू कोड बिल लेकर आये थे। हिंदू कोड बिल भारतीय महिलाओं के लिए सभी मर्ज की दवा थी।

डॉ. आम्बेडकर का मानना था कि भारतीय महिलाओं के पिछड़ेपन की मूल वजह भेदभावपूर्ण सामाजिक व्यवस्था और शिक्षा का अभाव है। शिक्षा में समानता के संदर्भ में आंबेडकर के विचार स्पष्ट थे। उनका मानना था कि यदि हम लड़कों के साथ-साथ लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान देने लग जाएं तो प्रगति कर सकते हैं। शिक्षा पर किसी एक ही वर्ग का अधिकार नहीं है। समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा का समान अधिकार है। नारी शिक्षा पुरुष शिक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण है। चूंकि पूरी पारिवारिक व्यवस्था की धुरी नारी है उसे नकारा नहीं जा सकता है।

जब 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार बनी तो उसमें डॉ. आम्बेडकर को देश का पहले कानून मंत्री नियुक्त किया गया। 29 अगस्त 1947 को डॉ. आम्बेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा ने उनके नेतृत्व में बने संविधान को अपना लिया। अपने काम को पूरा करने के बाद डॉ. आम्बेडकर ने कहा था- मैं महसूस करता हूं कि भारत का संविधान साध्य है, लचीला है पर साथ ही यह इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों समय जोड़ कर रखने में सक्षम होगा। मैं कह सकता हूं कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुष्य गलत था। आम्बेडकर ने 1952 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप मे लोकसभा का चुनाव लड़ा पर हार गये। मार्च 1952 में उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनित किया गया। अपनी मृत्यु तक वे उच्च सदन के सदस्य रहे।

डॉ. आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने लाखों समर्थकों के साथ एक सार्वजनिक समारोह में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। आगे चल कर आम्बेडकर का स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। 6 दिसम्बर 1956 को दिल्ली स्थित घर पर डॉ. आम्बेडकर का निधन हो गया। 7 दिसम्बर को बम्बई में चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध तौर-तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया गया जिसमें उनके हजारों समर्थकों, कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों ने भाग लिया। 1990 में डॉ. आम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सरकारों की उपेक्षा के चलते बाबा साहेब को भारत रत्न सम्मान बहुत देरी से प्रदान किया गया। आम्बेडकर के दिल्ली स्थित 26 अलीपुर रोड के उस घर में एक स्मारक स्थापित किया गया है जहां वे सांसद के रूप में रहते थे।

भारतीय संविधाान के शिल्पी एवं सामाजिक क्रांति के महानायक : डॉ अम्बेडकर

सुरेश पचौरी

मध्यप्रदेश की माटी के गौरव सपूत, भारत रत्न डॉ भीमराव अम्बेडकर, समता मूलक समाज की स्थापना के प्रणेता और भारत के संविधान के निर्माता हैं। डॉ अम्बेडकर का जीवन संघर्षों की ऐसी महागाथा है जिसने इंसानियत को सही अर्थो में समझा और मानवीय गरिमा को स्थापित कर इतिहास को गौरवान्वित किया। डॉ अम्बेडकर देश के कमजोर वर्गों के आत्मसम्मान और सामाजिक, आर्थिक समानता के सबसे बड़े पैरोकार थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्यप्रदेश के महू में हुआ था। महार जाति में जन्में डॉ अम्बेडकर ने गैर बराबरी, छुआछूत, अन्याय, शोषण, दमन, घृणा, तिरस्कार और वेदना की पराकाष्ठा की भट्टी में तपते हुए सतह से शिखर की उंचाई को स्पर्श किया है।

डॉ भीमराव अम्बेडकर बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। 1912 में उन्होंने स्नातक परीक्षा पास की। उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एम.ए. किया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनामिक्स से डी.एससी. एवं कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ लॉ की डिग्री हासिल की। वे एक चिंतनशील व्यक्ति तथा कर्मयोगी थे। उनका जीवन, उन्हें मिली सफलताऐं और उपलब्धियां अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि प्रतिभा का जाति से कोई संबंध नहीं होता। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिभा को खुला और उन्मुक्त वातावरण मिलना चाहिए। असाधारण संगठन क्षमता और अन्याय के विरूद्ध लोहा लेने की उनकी संकल्पबद्धता उन्हें सहज ही एक महान इतिहास पुरूष के रूप में प्रतिष्ठापित कर देती है। दलित समाज में मानवाधिकारों के प्रति चेतना जगाने में उनका विशेष योगदान है। दलित एवं कमजोर वर्गों के लिए उनका स्पष्ट संदेश था ङ्क शिक्षित बनो, संगठित रहों और संघर्ष करो।

आजाद भारत के पहले मंत्रिमंडल में डॉ अम्बेडकर देश के कानून मंत्री बने। वे संविधान सभा के सदस्य भी थे तथा उन्हें संविधान सभा की ड्रॉफ्ट कमेटी का सभापति बनाया गया था। आजादी के तत्काल बाद 1947 में जब साम्प्रदायिक विद्वेष की आग फैल रही थी ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती थी, एक ऐसा संविधान बनाने की, जो सर्वस्वीकार्य हो। डॉ अम्बेडकर ने इस चुनौती को सहर्ष स्वीकार किया।

डॉ अम्बेडकर राजनैतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र में बदलना चाहते थे। वे आर्थिक शोषण के खिलाफ संरक्षण को संविधान के मूलभूत अधिकारों के रूप में सम्मिलित करने के पक्षधर थे। डॉ अम्बेडकर ने विश्व संविधानों के श्रेष्ठ मूल्यों, उन्नत प्रावधानों को भारतीय संस्कृति के अनुरूप ढालकर भारतीय संविधान को वैश्विक संघर्षों एवं अनुभवों से समृद्ध किया। स्वतंत्र भारत के संविधान के शिल्पकार के रूप में डॉ अम्बेडकर के योगदान को पूरा देश बड़े गौरव के साथ स्मरण करता है। डॉ अम्बेडकर ने संविधान की रचना करते समय इस बात को बारीकी से ध्यान में रखा कि आजाद भारत जातियों, संप्रदायों में विभाजित हुये बिना एकजुट मानव समाज के रूप में अपनी विकास यात्रा तय करे। संविधान में डॉ अम्बेडकर ने ऐसे अनेक प्रावधान रखे, जिसके चलते न केवल दलित वर्ग को अपितु संपूर्ण मानव समाज को समानता से जीने का अधिकार मिला। उन्हीं के प्रयासों से छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। संविधान में सामाजिक न्याय और कमजोर वर्ग की बेहतरी के अनेक प्रावधान किये गये।

डॉ अम्बेडकर का जीवन एवं दर्शन सामाजिक एवं आर्थिक नवनिर्माण को सही दिशा देने का मूल मंत्र है। उन्होंने वित्त आयोग, आर.बी.आई. निर्वाचन आयोग, पानी, बिजली, ग्रिड सिस्टम, संपत्ति में महिलाओं का अधिकार आदि अनेक विषयों पर अपने विचार आलेख के रूप में प्रस्तुत किये। राष्ट्रनिर्माण, विदेशनीति निर्धारण, श्रमिक कल्याण, कृषि तथा औद्योगिक विकास में उनका तत्कालीन चिंतन आज भी देश की जनता के लिए धरोहर सरीखा है।

बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी डॉ अम्बेडकर एक चिंतनशील पत्रकार थे। वे पत्रकारिता को सामाजिक न्याय का माध्यम मानते थे। पत्रकारिता की आवश्यकता और प्रभाव को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा था जैसे पंख के बिना पक्षी नहीं होते वैसे समाचार पत्र के बिना आंदोलन नहीं होते। डॉ अम्बेडकर ने खुद भी 1920 में मूकनायक अखबार का प्रकाशन शुरू किया जिसके माध्यम से मानवीय संवेदनाओं को राष्ट्रीय स्वर दिया। इसका असर यह हुआ कि अंग्रेजों की दलित समाज को हिन्दू समाज से अलग करने की चाल विफल हुई।

डॉ अम्बेडकर द्वारा उठाये गये सामाजिक आर्थिक प्रश्नों से आजादी के आंदोलन को गति एवं शक्ति प्राप्त हुई। सामाजिक समरसता और समाज में बराबरी का भाव डॉ अम्बेडकर के चिंतन के केन्द्र बिन्दु रहे लेकिन यह सिर्फ दलित या कमजोर वर्ग तक सीमित नहीं था, उन्होंने महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, हिन्दू समाज में बहुविवाह प्रथा पर रोक लगाने के हिन्दू कोड बिल को लागू करवाने के लिये अथक प्रयास किये। यह उनके सिद्धांतों के प्रति दृढ़ता का परिचायक था कि हिन्दू कोड बिल को पारित न होने पर उन्होंने कानून मंत्री के पद से स्तीफा दे दिया। समानता पर आधारित शोषणमुक्त समाज के निर्माण की दिशा में निर्णायक कदम उठाते हुये उन्होंने 14 अक्टूम्बर 1956 को अपने लाखों अनुयायियों सहित बौद्ध धर्म अपनाया। नागपुर की पवित्र दीक्षाभूमि पर उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य एक हैं। मैं बौद्धधर्म के तीन तत्वों 1. ज्ञान 2. करूणा 3. शील के अनुरूप स्वंय को ढालूंगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में केन्द्र सरकार ने डॉ अम्बेडकर के जीवन और कृतित्व को चिरस्मरणीय बनाने के लिये अनेक कदम उठाये हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से गहरे संबंध रखने वाले पांच स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। ये पंचतीर्थ इस प्रकार हैं।

अम्बेडकर जन्म स्थली, महू: डॉ अम्बेडकर की जन्म स्थली महू में उनकी स्मृति में भव्य स्मारक बनाया गया है एवं मध्यप्रदेश सरकार द्वारा महू में डॉ बी.आर.अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है।

शिक्षा भूमि, लंदन: डॉ अम्बेडकर ने लंदन में जिस इमारत में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की थी उसे खरीद कर, उस तीन मंजिला इमारत को अंतर्राष्ट्रीय सहअनुसंधान केन्द्र के रूप में विकसित किया है।

दीक्षा भूमि, नागपुर: डॉ अम्बेडकर ने नागपुर में जिस जगह बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, उस दीक्षा भूमि पर एक भव्य ग्रंथालय, शोध केन्द्र और सभागार का निर्माण कराया गया है।

महापरिनिर्वाण भूमि, दिल्ली: दिल्ली के अलीपुर रोड पर वह बंगला स्थित है, जहां पर डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने अंतिम सांस ली थी। इस स्थल पर एक स्मारक बनाया गया।

अम्बेडकर स्मारक, मुम्बई: मुंबई के उस मकान में, जहां बाबा साहब अंबेडकर ने वर्षो तक निवास किया वहां डॉ अम्बेडकर की आदमकद प्रतिमा लगायी गई तथा लगभग 13 हजार लोगों की क्षमता वाला विपश्यना हाल बनाया गया है। आज डॉ बाबासाहब अंबेडकर हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार हमेशा हमारे साथ रहेंगे। वे संपूर्ण मानवजाति के उद्धारक थे। उन्होंने धर्म और जाति से परे शोषण मुक्त समाज का सपना देखा था और उसे साकार करने के लिए वे संकल्पबद्ध थे। आज उनकी जन्मतिथि है। आज के दिन हम ये संकल्प लें कि हम डॉ अम्बेडकर के सामाजिक समरसता, समानता और सद्भाव की नयी चेतना को जन-जन तक ले जाकर बाबा साहेब के सपनों को साकार करने की दिशा में सार्थक पहल करेंगे।

(लेखक पूर्व केन्द्रीय मंत्री हैं।)

आजकल

पुलिस के रवैये पर सर्वोच्च न्यायालय का सख्त रुख

अदालत की यह टिप्पणी यह बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आए दिन कानून का शासन लागू करने को लेकर जिस तरह के दावे किए जाते रहे हैं, उस पर वास्तव में अमल करने के मामले में पुलिस किस तरह मनमानी करती है और विवादों को कैसा रूप दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार पिछले कुछ वर्षों से कानून का शासन स्थापित करने के दावे खूब बढ़-चढ़ कर करती रही है। मगर जमीन पर वे दावे खोखले ही निकलते रहे हैं! अपराध के खिलाफ उसकी कार्रवाई की वास्तविकता यह भी है कि नियम-कायदों के उल्लंघन की प्रकृति होती कुछ और है, लेकिन उसे कानूनी दस्तावेजों में किसी और रूप में दर्ज किया जाता है।

ऐसे ही एक मामले पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस के उस रवैये के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया, जिसमें दीवानी विवादों को फौजदारी मामलों में बदला जा रहा है। अदालत की पीठ ने इसे 'कानून के शासन का पूरी तरह पतन' करार देते हुए कहा कि यह प्रथा गलत है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए।

अदालत की यह टिप्पणी यह बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आए दिन कानून का शासन लागू करने को लेकर जिस तरह के दावे किए जाते रहे हैं, उस पर वास्तव में अमल करने के मामले में पुलिस किस तरह मनमानी करती है और विवादों को कैसा रूप दिया जा रहा है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कानून-व्यवस्था के नाम पर की जाने वाली ऐसी मनमानी के बूते क्या किया जा रहा है और क्या दर्शाया जा रहा है।

केवल पैसा न लौटाने को क्या ऐसे कानूनी दायरे में रखा जा सकता है, जिसे अपराध घोषित कर दिया जाए और उसी मुताबिक कानूनी कार्रवाई की जाए अदालत ने इस पर तल्ख रुख अख्तियार करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में हर रोज दीवानी मामलों को फौजदारी के मामलों में बदला जा रहा है। यह बेतुका है, सिर्फ लंबा वक्त लगने की दलील देकर दीवानी मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर दी जाएगी और आपराधिक कानून लगा दिया जाएगा।

सवाल है कि क्या इसी तरह का रवैया अपना कर राज्य सरकार अपराधों पर काबू पाने का दावा कर रही है। अगर खुद पुलिस महकमे और उसके अधिकारी नियमों को इस तरह ताक पर रख रहे हैं, तो आपराधिक मामलों में उनकी कार्रवाइयों को कितना विश्वसनीय माना जाएगा

संघीय कशमकश और तमिल राजनीति

प्रमोद जोशी

तमिलनाडु विधानसभा से पास होने के बावजूद दस विधेयकों को रोक कर रखने के राज्यपाल आरएन रवि के फैसले को अवैध करार देते हुए उच्चतम न्यायालय ने एक संवैधानिक पेच को दुरुस्त ज़रूर किया है, पर इससे केंद्र-राज्य संबंधों और राज्यपालों की भूमिका से जुड़ी पहेलियों का हल पूरी तरह अब भी नहीं होगा। हाल के वर्षों में कुलपतियों की नियुक्ति, राज्य विधान परिषदों में नामांकन और राज्यपाल द्वारा पारंपरिक अभिभाषण के संपादन या सदन को बुलाने पर दुर्भाग्यपूर्ण रस्साकशी तो हुई ही है, विधानमंडलों से पारित विधेयकों को मंजूरी देने में देरी या इनकार जैसे कार्य भी हुए हैं।

विधानमंडल से पास हुए विधेयकों को रोकने की शक्ति को लेकर 2023 में, पंजाब राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि राज्यपाल निर्वाचित विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर समयबद्ध तरीके से कार्य करने के लिए बाध्य हैं। अदालत के इस बार के फैसले ने उस समयबद्धता को परिभाषित भी कर दिया है। इससे विधानमंडल से पास हुए विधेयकों के बारे में राज्यपालों का विशेषाधिकार सीमित हो गया है।

विधानमंडल से पास हुए विधेयकों को रोकने की शक्ति को लेकर 2023 में, पंजाब राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि राज्यपाल निर्वाचित विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर समयबद्ध तरीके से कार्य करने के लिए बाध्य हैं। अदालत के इस बार के फैसले ने उस समयबद्धता को परिभाषित भी कर दिया है। इससे विधानमंडल से पास हुए विधेयकों के बारे में राज्यपालों का विशेषाधिकार सीमित हो गया है।

इस निर्णय का महत्व तमिलनाडु के राज्यपाल की निंदा से कहीं अधिक है। राज्यपाल अब जांच के बहाने कानून को अनिश्चितकाल तक विलंबित नहीं कर सकते। न्यायालय ने एक संवैधानिक सिद्धांत की पुष्टि की है कि राजभवनों को पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करना चाहिए। अब सिद्धांत यह बना है कि किसी विधेयक को जब विधानमंडल दुबारा राज्यपाल के पास भेजें, तब उसे स्वीकृति दे दी जानी चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को 'शीघ्रता से काम करना चाहिए' और किसी विधेयक को अनिश्चितकाल तक रोककर वे 'पॉकेट वीटो' का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अनुच्छेद 200 को अनुच्छेद 163 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो राज्यपाल को कैबिनेट की सलाह पर काम करने के लिए बाध्य करता है। यदि कैबिनेट की सलाह के विपरीत राज्यपाल किसी विधेयक को मंजूरी नहीं देते हैं या उसे सुरक्षित रखते हैं, तो उन्हें ऐसा तीन महीने के भीतर करना होगा। दोबारा पारित विधेयकों के लिए समय-सीमा घटाकर एक महीना कर दी गई है।

राज्यपालों के मामले में भारत का अनुभव निराशाजनक रहा है। इस पद का दुरुपयोग लगभग सभी ताकतों ने अलग-अलग वक्त पर किया है। दिल्ली में जिसकी सरकार रही उसने राज्य सरकारों को बर्खास्त करने में राज्यपालों का सहारा लिया। दशकों से देश राज्यपालों की भूमिका को लेकर विमर्श कर रहा है, पर रास्ता अभी तक नहीं निकला है। हां, इतना जरूर हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के बोम्मई मामले में फैसले के बाद राज्यों में सरकारों की बर्खास्तगी का चलन खत्म हो गया और सरकारों के बनने-बिगड़ने का स्वीकृत सिद्धांत बन गया। इस बार के फैसले से राज्यों की प्रशासनिक स्वायत्तता बढ़ेगी और संवैधानिक पदों का कामकाज नियंत्रित होगा, जिसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ेगा। यह न्यायिक-हस्तक्षेप ऐसे समय में हुआ है, जब गैर-भाजपा दलों द्वारा शासित राज्यों में राज्यपालों और सरकारों के बीच तनाव चरम पर है। इस संवैधानिक सफलता का राजनीतिक श्रेय एमके स्टालिन की डीएमके सरकार को जाता है, पर वहीं मेडिकल प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 'नीट' से छूट हासिल करने में तमिलनाडु सरकार को मुंह की खानी पड़ी है। इस मामले को लेकर भी वे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं, पर यह मामला उतना सरल नहीं है, जितना राज्यपालों के विशेषाधिकार का है।

इस दौरान 'नीट' को लेकर कई तरह की शिकायतें सामने आई हैं, पर उच्चतम न्यायालय ने उसे लगातार बरकरार रखा है। राज्य सरकार ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है, पर संवैधानिक-व्यवस्थाएं उसके पक्ष में नहीं हैं। पिछले कुछ महीनों में तमिलनाडु सरकार ने तीन भाषा सूत्र, चुनाव-क्षेत्र परिसीमन और नीट परीक्षा जैसे मसलों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। तीनों मामलों के कारण राजनीतिक-कोलाहल तो हुआ है, पर बुनियादी तौर पर कुछ हुआ नहीं है। यह सब अगले साल होने वाले राज्य विधानसभा के चुनाव की पूर्व-पीठिका तैयार कर रहे हैं। बुधवार को एमके स्टालिन की अध्यक्षता में विधायक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि तमिलनाडु सरकार चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 'नीट' से राज्य को छूट दिलाने के लिए अपना कानूनी संघर्ष जारी रखेगी।